रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003—05

REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 20] नई दिल्ली, अगस्त 26—सितम्बर 1, 2018, शनिवार/भाद्र 4—भाद्र 10, 1940

No. 20] NEW DELHI, AUGUST 26—SEPTEMBER 1, 2018, SATURDAY/ BHADRA 4— BHADRA 10, 1940

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4

PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश

Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

(रक्षा उत्पादन विभाग)

(वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय)

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2018

का.नि.आ. 73.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और तकनीकी विकास तथा उत्पादन निदेशालय (वायु), रक्षा उत्पादन तथा पूर्ति विभाग, समूह 'ग' अराजपत्रित (तकनीकी पद) भर्ती नियम 1993, तकनीकी विकास तथा उत्पादन निदेशालय (वायु), रक्षा उत्पादन तथा पूर्ति विभाग, समूह 'ग' अराजपत्रित (तकनीकी पदों) कर्मचारी संशोधित भर्ती नियम 1996, वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय, रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग, समूह 'ख' अराजपत्रित (तकनीकी पद) भर्ती नियम, 2008, को जहां तक उनका संबंध चार्जमैन ग्रेड-I और चार्जमैन ग्रेड-II के पदों से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने से लोप किया गया है। रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग, वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय में चार्जमैन के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. <u>**संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**</u> : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग, वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय, चार्जमैन समूह 'ख' भर्ती नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर :** पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अन्य अर्हताएं आदि :** भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता :** वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नही होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति :** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति :** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
चार्जमैन	82* (2018) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स (35400-112400रु) में स्तर-6	चयन	30 से अनाधिक **टिप्पण 1 :** केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 05 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण 2 :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
आवश्यक: किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से इंजीनियरी का डिप्लोमा; या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान के मुख्य विषय के रूप में भौतिकी या रसायन शास्त्र और गणित से स्नातक डिग्री। **टिप्पण 1:** इंजीनियरी में डिप्लोमा के लिए निर्धारित शाखा भर्ती के समय उपदर्शित की जाएगी। **टिप्पण 2:** अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।	नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले के लिए दो वर्ष	75 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा और 25 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा	प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 के ऐसे मास्टर क्राफ्टसमेन जिन्होंने परीविक्षा की अवधि पूरी कर ली हो। **टिप्पण :** विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा आयोजित विभागीय व्यापार परीक्षण, को सभी पात्र अभ्यर्थियों को अर्हित करना होगा।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. निदेशक, वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय मुख्यालय - अध्यक्ष 2. संयुक्त निदेशक या समतुल्य स्तर के कोई अधिकारी, वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय - सदस्य 3. उप निदेशक या किसी अन्य रक्षा स्थापन से कोई समतुल्य स्तर के अधिकारी - सदस्य **समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-** 1. निदेशक, वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय मुख्यालय - अध्यक्ष	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

2. संयुक्त निदेशक या समतुल्य स्तर के कोई अधिकारी, वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय - सदस्य	
3. उप निदेशक या किसी अन्य रक्षा स्थापन से कोई समतुल्य स्तर के अधिकारी - सदस्य	

[फा. सं. 4741/भ.नि./चार्जमेन/डीजीएक्यूए/प्रशा-II/डी(एचएएल)]

इंद्रजीत सेठी, अवर सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

(Department of Defence Production)

(DIRECTORATE GENERAL OF AERONAUTICAL QUALITY ASSURANCE)

New Delhi, the 31st July, 2018

S.R.O. 73.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Directorate of Technical Development and Production (Air), Department of Defence Production and Supplies Group 'C' Non Gazetted (Technical Posts) Recruitment Rules, 1993, Directorate of Technical Development and Production (Air), Department of Defence Production and Supplies Group 'C' Non-Gazetted (Technical Posts) Amendment Recruitment Rules, 1996 and the Directorate General of Aeronautical Quality Assurance, Department of Defence Production, Group 'B' Non-Gazetted (Technical Posts), Recruitment Rules, 2008, in so far as they relate to the posts of Chargeman Grade-I and Chargeman Grade-II, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Chargeman in the Ministry of Defence, Department of Defence Production, Directorate General of Aeronautical Quality Assurance, namely:-

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Defence, Department of Defence Production, Directorate General of Aeronautical Quality Assurance, Chargeman, Group 'B', Recruitment Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification, level in the pay matrix** .— The number of the said posts, their classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, other qualifications, etc.**— The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.**— No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward classes, ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection or non selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Chargeman	82* (2018) *Subject to variation dependent upon workload	General Central Services(Group 'B' Non-Gazetted, Non-Ministerial)	Level 6 (Rs 35400-112400)	Selection

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees
(6)	(7)	(8)
Not exceeding 30 years **Note 1 :** (Relaxable for government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note 2 :** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti Districts and Pangi sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	Essential: Diploma in Engineering from a recognised institute; or Graduate Degree in Science from a recognised University with Physics or Chemistry and Mathematics as main subjects. **Note 1 :** The exact discipline for Diploma in Engineering will be indicated at the time of recruitment. **Note 2 :** Qualifications are relaxable at the discretion of the competent authority, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified.	No

Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation/absorption grades from which promotion or deputation/ absorption to be made
(9)	(10)	(11)
Two years for direct recruits.	75 per cent by direct recruitment and 25 per cent by promotion.	**Promotion :** Master Craftsman in level 6 in the pay matrix having cleared their probation. **Note:** All eligible candidates are to qualify the Departmental Trade Test conducted by the Departmental Promotion Committee.

If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- 1. Director from HQ Directorate General of Aeronautical Quality Assurance – Chairman 2. Joint Director or an officer of equivalent level from Directorate General of Aeronautical Quality Assurance – Member 3. Deputy Director or an officer of equivalent level from any other Defence establishment – Member **Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-** 1. Director from HQ Directorate General of Aeronautical Quality Assurance – Chairman 2. Joint Director or an officer of equivalent level from Directorate General of Aeronautical Quality Assurance – Member 3. Deputy Director or an officer of equivalent level from any other Defence establishment – Member	Consultation with UPSC is not necessary.

[F. No. 4741/RR/Chargeman/DGAQA/ADM-II/D(HAL)]

INDERJEET SETHI, Under Secy.

नई दिल्ली, 19 जून, 2018

का.नि.आ. 74.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग, वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय, समूह 'क' और 'ख' राजपत्रित (अनुसचिविय) भर्ती नियम, 2015 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग, वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय में समूह 'क' और 'ख' राजपत्रित पद (अनुसचिविय) के लिए पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग, वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय, समूह 'क' और 'ख' राजपत्रित पद (अनुसचिविय) भर्ती नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर :** पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि :** भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त/पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता :** वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नही होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।